ई निविदा सूचना (चार्टड एकाउन्टेन्ट)

क्र 1226/भो.दु.सं./वित्त/2023 भोपाल, दिनांक 02/02/2023

चतुर्थ अल्पकालीन ई–निविदा

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा भोपाल में स्थित डेयरी संयंत्र में चार्टड एकाउन्टेन्ट हेतु अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है । निविदा फार्म मध्य प्रदेश शासन की **www.mptenders.gov.in** वेब–साइट से निविदा फार्म के मूल्य रूपये 1000/–का भुगतान कर डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा की विस्तृत शर्त हेतु निविदा फार्म मध्य प्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वेबसाईट **www.mpcdf.gov.in** से भी मात्र पठन हेतु डाउनलोड किया जा सकता है ।

निविदा की मुख्य जानकारी निम्नानुसार है ।

	कार्य विवरण	अमानत राशि	निविदाफार्म डाउन लोडिंग की प्रारम्भ दिनांक व समय	निविदा दर भरने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खुलने की दिनांक व समय
(अ)	➢ टेक्सेशन कार्य, ➢ समवर्ती लेखा परीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण कार्य,	50,000.00	03.02.2023 प्रातः 11:00 बजे	16.02.2023 दोपहर 03:00 बजे	17.02.2023 दोपहर 03:00 बजे
(ब)	➢ सेल्स ऑडिट कार्य, ➢ दुग्ध शीतकेन्द्रों का अंकेक्षण कार्य	50,000.00			
(स)	➢ टेक्स ऑडिट एवं जीएसटी ऑडिट कार्य	50,000.00			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

परिशिष्ट ''अ''

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भाव प्रपत्र–विवरण

निविदा.नं.:–

निविदाकर्ता का नाम :–

	क्र.	कार्य का विवरण	संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक दर रू.	फर्म द्वारा प्रस्तुत वार्षिक दर रू.
अ	1.	टेक्सेशन कार्य	100000	
	2.	समवर्ती लेखा परीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण कार्य	100000	
ब	1.	सेल्स ऑडिट	100000	
	2.	दुग्ध शीतकेंद्रों का अंकेक्षण कार्य	100000	
			(जीएसटी पृथक से)	
स	1.	टेक्स ऑडिट एवं जी.एस.टी. ऑडिट 9(c)	40000 +35000	
			(जीएसटी पृथक से)	

नोट :– (1) उपरोक्तानुसार दरें केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 'अ','ब' एवं 'स' के लिए निविदाकार पृथक–पृथक निविदा दरें प्रस्तुत की जावें। निविदाकार को बिन्दु क्रमांक अ, ब, स में से किसी एक ही कार्य के लिए निविदा दर मान्य की जावेगी। अन्य बिन्दुओं पर उनकी निविदा मान्य नहीं होगी।

Annexure -1

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल

तकनीकी प्रपत्र – विवरण

1. निविदाकार का नाम --

2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता --

----

3. परिशिष्ट 'अ' में दर्शित, संपादित किये जाने वाले कार्य का विवरण --

----

4. कार्यालय का पता --

(अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर --

(ब) E-Mail --

5. निविदा के साथ जमा राशि का --

विवरण --

6. PAN No. --
(छायाप्रति अपलोड करें)

7. Registration No. --
(छायाप्रति अपलोड करें)

8. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं. --
(छायाप्रति अपलोड करें)

9. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो --
(पार्टनर के नाम एव पते अंकित करें)

–::घोषणा ::–

एतद् द्वारा मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण जानकारी अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। मैंने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तों तथा सूची को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य है।

स्थान :–

दिनांक :–

–आवेदक–

निविदाकार के हस्ताक्षर

टेण्डर फार्म की कीमत रू. 1000/–
Annexure-2

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

ई–निविदा हेतु शर्ते

1. इच्छुक फर्मस् को किसी बड़ी शासकीय/अशासकीय/व्यवसायिक कम्पनी जिसका टर्न ओवर राशि रूपये 100 करोड़ वार्षिक हो, में कम से कम 05 वर्ष (as per SPR) कार्य अनुभव आवश्यक है।
(प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
2. फर्म INDIAN CHARTERED ACCOUNTANT INSTITUTE संस्था में रजिस्टर्ड होना चाहिये। (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)।
3. निविदाकार को भोपाल अथवा अन्य दुग्ध संघो एवं अन्य संस्थाओं में किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रशासनिक (गबन) में संलिप्त अथवा दोषी नहीं होना चाहिए। तत्संबंध में रू.100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।
4. फर्म में साझेदारों की संख्या कम से कम 5 (पांच) हो। पार्टनरशिप डीड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
5. फर्म का पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर राशि रूपये 50 लाख वार्षिक से कम न हो।
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. फर्म का मुख्यालय, भोपाल एवं मध्यप्रदेश में अन्यत्र भी स्वीकार होगा। परन्तु फर्म की शाखा कार्यालय भोपाल में होना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी भी स्थिति में 3 से 5 दक्ष व अनुभवी सी.ए. पूर्णकालिक पदस्थ होना अनिवार्य होगा। जिसमें 2 DISA सदस्य होना आवश्यक है।
7. फर्म को सहकारिता पेनल ''ए'' ग्रेड में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। पंजीयन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
8. दिये गये कार्य को निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। आवंटित कार्य को किसी भी स्थिति में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
9. प्रीऑडिट, सेल्स ऑडिट एवं अन्य समस्त कर संबंधित कार्यों के ऑडिट हेतु नियमित रूप से दो–दो आर्टिकल कार्यालयीन समय में प्रातः 10.00 से सांय 6.00 बजे तक पदस्थ करना अनिवार्य होगा।
10. टेण्डर फार्म की कीमत रू. 1000/– होगी जो ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकता है।
11. प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रू. 50000/–(पचास हजार मात्र) जीएसटी सहित केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करें। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघुउद्योगों को निविदा में प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी । जिसके पंजीयन की प्रति निविदा में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
13. कार्य की दर वार्षिक होगी जिसका भुगतान रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक आधार पर होगा। 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 का भुगतान त्रैमासिक होगा।

14. दरें केवल Online ही मान्य होंगी। तकनीकी प्रपत्र में दरें न भरें।

15. प्री ऑडिट हेतु संघ को उपलब्ध कराये गये स्टाफ में से कम से कम 2 स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता सी.ए.इंटरमिडियेट होना अनिवार्य है।

16. निविदा में चाहे गये दस्तावेज कम या निविदानुसार न पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

17. न्यूनतम समान दरें प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों में से सफल निविदाकार का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

18. चार्टड अकाउंटेट की नियुक्ति एक वर्ष के लिये रहेगी। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक वर्ष बढ़ाया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

19. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई दरों पर नियमानुसार जीएसटी का भुगतान किया जावेगा। निविदाकार को निविदाप्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंको में स्पष्ट वर्णित करना होगा।

20. किसी भी निविदा को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

21. निविदाकार को निविदा के साथ रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वंय अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है, एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल अथवा संबंद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं निविदाकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं। प्रस्तुत करना होगा।

22. बिन्दु क्र. 'अ' में यदि किसी निविदाकार द्वारा दरें भरे जाती हैं तो वह बिन्दु क्र. 'ब' एवं 'स' में दरें न भरें। क्रमशः बिन्दु क्र. 'ब' में दरें भरने वाले निविदाकार बिन्दु क्र. 'अ' व 'स' में दरें न भरें। बिन्दु क्र. 'स' के लिए पृथक से दरें भरी जावें।

23. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ,साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

24. ऐसे निविदाकार जिन्होंने भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल, पशुआहार संयंत्र, दुग्ध शीत केन्द्रों में वर्ष 2018—19, 2019—20, 2020—2021 एवं 2021—22 में क्रमशः आंतरिक अंकेक्षण, टेक्शेसन कार्य, समवर्ती कार्य लेख परीक्षण ऑडिट व जी.एस.टी. कार्य कर चुके सीए/सीए फर्म समकक्ष/समान कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे निविदकारों द्वारा फिर भी इस निविदा में भाग लिया जाता है, तो ऐसी निविदाओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार किया जावेगा।

25. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ. को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

26. चाहे गये दस्तावेज ऑनलाईन ही प्रेषित करें ।

27. किसी भी प्रकार का वाद—विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

———0————

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

कार्य का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 की चतुर्थ तिमाही (1 जनवरी –31 मार्च 2023) एवं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023–31 मार्च 2021 तक हेतु भोपाल सहकारी दुग्ध संघ एवं पशु आहार संयंत्र पचामा के निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाने हैं।

टेक्सेशन कार्य (1)

1. वेतन एवं स्त्रौत पर आयकर के कटोत्रे एवं ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर आयकर के कटोत्रे का परीक्षण करना एवं मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर रिर्टन तैयार कर फाईल करवाना। आयकर विभाग से संबंधित सभी पत्र व्यवहार/नोटिस संबंधी कार्यवाही करना एवं विभाग द्वारा दी गयी पेशियों पर उपस्थित रहकर प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर संघ को सूचित करना।
2. डेयरी संयंत्र भोपाल एवं पशु आहार संयंत्र पचामा हेतु आयकर अधिनियम की धारा 44 ए–बी के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के पूर्व 3 सीडी एवं टैक्स आडिट रिपोर्ट तैयार करवाकर संघ की वार्षिक रिटर्न एवं इससे संबंधित जानकारी विवरण के साथ फाईल करवाना। आयकर का निर्धारण करवाना एवं निर्धारण पर यदि आवश्यक हो तो अपील प्रस्तुत कर निराकरण करवाना एवं संघ के स्थिति विवरण का अंकेक्षण के पश्चात हस्ताक्षर व सील लगाकर संघ को उपलब्ध कराना।
3. प्रत्येक माह संघ के क्रय एवं विक्रय के आंकड़ों (डाटा) के आधार पर जी.एस.टी. का निर्धारण कर चालान बनाकर वित्त शाखा में जी.एस.टी. जमा करने वास्ते प्रत्येक माह की 7–8 एवं 17–18 तारीख तक भेजना ताकि समयावधि में जी.एस.टी. जमा किया जा सकें।
4. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जी.एस.टी. ऐक्ट) 2017 के अंतर्गत सभी नियमों एवं प्रावधानों का समयावधि में पालन सुनिश्चित करें। यथा जी.एस.टी. की सभी रिटर्न आदि समयावधि में फाईल करवाना आदि।
5. जी.एस.टी. से संबंधित किसी भी प्रकार के नोटिस आदि आने पर उसका पूर्ण परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं निराकरण की कार्यवाही करवाना।
6. जी.एस.टी. में समय–समय पर होने वाले सभी बदलाव के बारे में सूचित करना एवं तदानुसार कार्यवाही करना।
7. संघ के स्क्रेप विक्रय पर प्राप्त टी.डी.एस.(टेक्स कलेक्टेड एट सोर्स) राशि की त्रेमासिक रिटर्न तैयार कर फाईल करवाना।
8. संघ को समय समय पर आयकर, वृत्ति कर एवं जी.एस.टी. इत्यादि संबंधित विभिन्न आर्थिक अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों में हुये संशोधनों की समय सीमा में संघ को सूचना देना एवं इसके संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना। माननीय उच्च न्यायालय, आयकर विभाग, ट्रिब्यूनल व संबंधित विभाग में होने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराना।
9. संघ से संबंधित वर्ष का आयकर निर्धारण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना एवं निर्धारण उपरांत यदि संघ के पक्ष में रिफन्ड आदेश जारी होता है तो आवश्यक कार्यवाही कर आयकर विभाग से रिफंड आदेश की राशि प्राप्त कराना।
10. पूर्व वर्षों एवं आगामी वर्षों के टैक्स संबंधित विभाग से यदि कोई नोटिस/सूचना प्राप्त हो तो संबंधित प्रकरण में कार्यवाही की जाकर निराकरण करवाना।

11. कर्मचारियों के वृत्तिकर कटोत्रा का त्रैमासिक रिर्टन तैयार करना, फाईल करना तथा कर निर्धारण करवाना।

12. भोपाल दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित, के कारखाने वृत्तिकर रिटर्न फाईल करना तथा कर निर्धारण करवाना।

13. वित्तीय वर्ष 2022–23 के टेक्स संबंधित विभाग से यदि कोई नोटिस/ सूचना प्राप्त हो तो संबंधित प्रकरण में कार्यवाही की जाकर निराकरण करवाना।

14. नियमानुसार निर्धारित तिथि के पूर्व परीक्षण एवं गणना कर जमा योग्य अग्रिम आयकर (एडवांस टैक्स) राशि निर्धारण करवाना।

15. वित्तीय वर्ष 2017–18 से लागू होने वाले जी.एस.टी. टैक्स के अनुसार समस्त कार्य संपादित करना। जैसे :–प्रत्येक माह की जी.एस.टी. की गणना करना एवं तदानुसार जी.एस.टी.कर जमा करवाना, जी.एस.टी. के समस्त रिटर्न जमा करवाने की कार्यवाही पूर्ण करना। जी.एस.टी. से संबंधित आने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु अनुभवी दक्ष व्यक्ति की नियुक्ति भोपाल दुग्ध संघ के लिये करना। जी.एस.टी. के कर निर्धारण की कार्यवाही करना। प्रत्येक माह की 5 तारीख को संघ कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त सेल, परचेस की प्रविष्ठियों का अवलोकन कर जी.एस.टी. टैक्स गणना करना साथ ही पिछले टैक्स को भी चैक करना, अंतर की स्थिति स्पष्ट करना। समय पर रिटर्न फाईल करना तथा कर निर्धारण करवाना एवं जी.एस.टी.आर. –9 फाईल करना।

16. टी.सी.एस./टी.डी.एस.(0.1 प्रतिशत 194Q) से संबंधित सभी कार्य।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त करारोपण से संबंधित अन्य सभी कार्य करना।

समवर्ती लेखा परीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण (2)
concurrent audit & internal audit

18. संघ की सभी प्रकार के दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान (नगद एवं बैंक) तथा समायोजन का नियमानुसार पूर्व परीक्षण (प्री–आडिट) करना तथा विभिन्न अधिनियमों/नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार स्त्रोत पर टेक्स कटोत्रा (टी.डी.एस.) सुनिशिचित करना।

19. भोपाल दुग्ध संघ के अन्य संचालित किये जाने वाले विभिन्न परियोजनाओ का परीक्षण करना एवं समय समय पर चाहे अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित (एफ.यू.सी.) करना।

20. टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. रिर्टन हेतु अभिलेखों से मिलान करना।

21. संघ में संचालित टैली/ई.आर.पी. सॉफ्वेयर से प्रतिदिन की प्रविष्ठियों की जॉच करना व आवश्यकता होने पर उनमें सुधार करवाना व लेखांकन के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत देना।

22. क्रय एवं विक्रय से संबंधित व्यवहारों का अभिलेखों से परीक्षण करना।

23. वित्तीय पत्रकों का सूक्षम परीक्षण करना व त्रुटियों का सुधार कराना।

24. पशु आहार संयंत्र पचामा, सिहोर की सभी प्रकार के दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान (नगद एवं बैंक) तथा समायोजन का नियमानुसार पूर्व परीक्षण (प्री–आडिट) करना तथा विभिन्न अधिनियमों/नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार स्त्रोत पर टैक्स कटौत्रा (टी.डी.एस.) सुनिश्चित करना।

25. पशु आहार संयंत्र पचामा, सिहोर के अन्य संचालित किये जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं का परीक्षण करना एवं समय समय पर चाहे अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित(एफ.यू.सी.) करना।

26. टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. रिटर्न हेतु अभिलेखों से मिलान करना।

27. पशु आहार संयंत्र पचामा, सिहोर में संचालित टैली सॉफ्टवेयर/ई.आर.पी. से प्रतिदिन की प्रविष्टियों की जॉच करना व आवश्यकता होने पर उनमें सुधार करवाना व लेखांकन के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत देना।

28. पशु आहार संयंत्र पचामा, सिहोर के क्रय एवं विक्रय से संबंधित व्यवहारों का अभिलेखों से परिक्षण करना।

29. पशु आहार संयंत्र पचामा, सिहोर वित्तीय पत्रकों का सूक्ष्म परीक्षण करना व त्रुटियों का सुधार कराना।

विक्रय ऑडिट(3)

sales audit

30. संयंत्र से विक्रय हेतु निर्गमित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा का विपणन शाखा, संयंत्र शाखा व वित्त शाखा द्वारा विक्रय मात्रा से दैनिक मिलान करना तथा मासिक रूप से विक्रय मात्रा को प्रमाणित करना। साथ ही विक्रय मात्रा के विरूद्ध प्राप्त राशि एवं बकाया राशि का मासिक रूप से मिलान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

31. विपणन शाखा द्वारा संधारित की जाने वाली वितरकों की बकाया राशि से संबंधित नस्तियों का लेखा शाखा के लेजर से मिलान करना एवं उन पर अपना स्पष्ट अभिमत देना।

32. संयंत्र से विक्रय हेतु निर्गमित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/एम.डी.एम. की मात्रा का विपणन शाखा/संयंत्र शाखा व वित्त शाखा द्वारा विक्रय मात्रा से दैनिक मिलान करना तथा मासिक रूप से विक्रय मात्रा को प्रमाणित करना। साथ ही विक्रय मात्रा के विरूद्ध प्राप्त राशि एवं बकाया राशि का मासिक रूप से मिलान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

33. विपणन शाखा के समस्त शहरी/ ग्रामीण वितरकों के अभिलेखों अनुसार दुग्ध विक्रय हेतु प्रदाय की गई मात्रा एवं प्राप्त राशि का मिलान एवं रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही दुग्ध विक्रय के बैंक की विभिन्न शाखाओं में RTGS/Cheque/DD के माध्यम से चालान द्वारा जमा राशियों का मिलान विपणन शाखा के अभिलेखों के साथ करना तथा मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

34. संयंत्र के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के रिसीप्ट (प्राप्ति) एवं डिस्पेच के अभिलेखों की जॉच करना।

35. भोपाल दुग्ध संघ एवं दुग्ध शीतकेंद्र बैतूल/नरसिंहगढ़/गुना इत्यादि के नियुक्त वितरकों के अभिलेखों अनुसार सेल्स ऑडिट का परिक्षण कर मासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करना।

दुग्ध शीत केंद्रों का अंकेक्षण (4)

36. शीतकेंद्रों के अभिलेखों की जॉच करना। दुग्ध रिसिप्ट व डिस्पेच के साथ फेट एवं एस.एन.एफ. खाते की जॉच करना। इसी प्रकार शीतकेंद्रों को प्राप्त पशु आहार व अन्य सामग्री तथा शीतकेंद्रों स्तर से दुग्ध समितियों को प्रदायित सामग्री के लेखा जोखा का मिलान करना।

37. दुग्ध शीतकेंद्रों के बैंक खातों में शीत केंद्र द्वारा लेनदेन की राशियों को बैंक स्टेटमेंट से मिलान करना तथा विक्रय राशिया पूर्णतः एवं समय पर जमा की जा रही हैं अथवा नहीं। इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

38. दुग्ध समितियों को प्रदाय पशु आहार एवं अन्य सामग्री का लेखा जोखा परीक्षण कर मासिक रिपोर्ट तैयार करना।

39. आंतरिक अंकेक्षण :–संघ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त 23 दुग्ध शीत केंद्रों आष्टा, बैतूल,सोहागपुर,नरसिंहगढ़, मुलताई ,विदिशा, राजगढ़, लटेरी, हरदा, शुजालपुर,बरेली, मालीवाया, गुना ,गैरतगंज ,कीरतपुर ,पचमा ,ग्यारसपुर, पचौर ,सिलवानी आदि (शीतकेंद्रों की संख्या मे कम/अधिक हो सकती है) पर होने वाले वित्तीय व्यवहारों दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का आवक/जावक विपणन गतिविधियॉ ,भंडारण गतिविधियॉ, परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों का त्रैमासिक आधार पर परिक्षण कर आगामी माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा कार्य में सुधार हेतु समय–समय पर मार्गदर्शन करना। अंकेक्षण कार्य हेतु भोपाल से बाहर शीतकेन्द्रों पर जाने आने हेतु स्वयं के खर्च पर कार्य करना होगा । तदनुसार ही दरें प्रस्तुत करें ।